

25.9.19 पक्षकारान के अधिकतम उपास्थित। मूल निरानी
प्रकरण में आज निर्णय पारित हो चुका है, लिहाजा
यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से
खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलेक्टर बाड़मेर
▼ (ए.डी.एम.) ▼